FORM-I

(for linear projects)

Government of Himachal Pradesh Office of the District Collector, Mandi

No. DC-MND(LR)-Z(32)-8/2016

Dated Mandi, the March, 2017

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.58 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Pairi Pasta to Hawanu road falls within the jurisdiction of Pasta village in Balh Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.58 hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.

District Collector,

Mandi District Mandi H.P.

पान राम। प्रसाद कार कर प्रसादान कर निवासी (वन आदकारों को मन्यता) अविनिवास कार कर प्रसाद सरका प्राव राम। प्रसाद सरका प्रसाद सरका प्रसाद सरका विवास खेल कर किला कर किला कर		
पार्वाली प्रस्ताव पितास खण्ड बेल्ड (विज्ञा) पार्वाली प्रस्ताव पितास खण्ड बेल्ड (विज्ञा) प्रस्ताव सख्या विषय हि॰ प्रस्ताव सख्या विषय हि॰ प्रस्तावित उपयोग को मजूरी के लिए सहमति प्रयान करने हत्। याम समा प्रस्ता विभाग सख्या प्रस्ताव सख्या विभाग सख्या को पिड़ी प्रस्ता याम समा प्रस्ता विभाग सख्या को मजूरी के लिए सहमति प्रयान करने हत्। विभाग सख्या के प्रस्तावित विभाग स्वर्ध को प्रमानित के त्रिक्त		
प्रसाव सस्या विषय हिं ज्या की जिना हैत परता विषय हैं ज्या के निर्माण हेत परता विषय को निर्माण हेत परता विषय को निर्माण हेत परता विषय करने हेत्। याम सम्या परता विभाग संस्था को पेड़ी परता याम सम्या परता विभाग संस्था को परता विभाग संस्था के स्थान संस्था करने पर स्था वो एक सम्याव संस्था को परता विभाग संस्था के उत्तर संस्था संस्था संस्था विभाग संस्था के स्थान संस्था संस्या संस्था स	विकास खण्ड मिल्ह	जला मण्डी (हि०प्र०)
विषय हि॰ प्रकाशिक विमाण हेतू प्रस्ता के पेंडी प्रस्ता के प्रमाण हेतू प्रस्ता के प्रमाण के निर्माण हेतू प्रमाण के निर्माण हेतू प्रस्ता करने हेतू । की बैठक आज दिनाक के गा में जिसमें हि॰ प्रकाशिक किया कि मान स्वाप के प्रसान करने पर प्रमाण हेतू प्रस्ता है। प्रसान करने पर प्रमाण हेतू प्रसान करने पर प्रमाण है के प्रमाण हेतू प्रसान करने पर प्रमाण के प्रमाण है के प्रमाण ह	प्रतिलिपि प्रस्ता	q
विषय हि॰ प्रकाशिक विमाण हेतू प्रस्ता के पेंडी प्रस्ता के प्रमाण हेतू प्रस्ता के प्रमाण के निर्माण हेतू प्रमाण के निर्माण हेतू प्रस्ता करने हेतू । की बैठक आज दिनाक के गा में जिसमें हि॰ प्रकाशिक किया कि मान स्वाप के प्रसान करने पर प्रमाण हेतू प्रस्ता है। प्रसान करने पर प्रमाण हेतू प्रसान करने पर प्रमाण है के प्रमाण हेतू प्रसान करने पर प्रमाण के प्रमाण है के प्रमाण ह		
विषय हि॰ प्रन्ती भीन के निर्माण हेतू पस्ता के पेड़ी पस्ता के पेड़ी पस्ता के निर्माण हेतू पस्ता के पेड़ी पस्ता अपनी के निर्माण हेतू पस्ता के मजूरी के निर्माण हेतू पस्ता के मजूरी के निर्माण हेतू पस्ता के मजूरी के निर्माण हेतू के निर्माण हेतू कि मजूरी प्रिता करने पर चर्चा की मजूरी के निर्माण हेतू कि मजूरी कि उपयोग की मजूरी के निर्माण हेतू करने पर चर्चा की मजूरी के निर्माण हेतू करने पर चर्चा की मजूरी के निर्माण हेतू करने पर चर्चा की मजूरी के निर्माण के उत्हर्मकों के प्रकार करने पर चर्चा की मजूरी के निर्माण हेतू करने पर चर्चा की मजूरी के निर्माण है से मजूरी निर्माण है के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निर्माण कि वस सम्मित से यह निर्माण निर्माण के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निर्माण कि वस सम्मित से यह पिणीय निर्माण के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निर्माण कि निर्माण के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निर्माण कि निर्माण के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निर्माण कि निर्माण के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निर्माण कि निर्माण के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निर्माण कि निर्माण के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निर्माण कि निर्माण के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निर्माण कि निर्माण के अनुसूचित वन अधिकारों के दावों के निर्माण के निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता के निर्माण के निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण के अनुसूचित का निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण हेतू के निर्माण हेतू अपयोग के लिए ग्राम सम्म पस्ता कि निर्माण हैता सार्याण कि निर्माण हैता है	गणपति ७३ ०००	दिनाक
प्रमास प्रमा पिट्रा की वेठक आज दिनाक की पहिन्द्र की वेठक आज दिनाक की गई जिसमें विश्व किया पर प्रमासित की स्थान पर पर प्रमासित के विश्व के नियान है पर		
प्रमास प्रमा पिट्रा को को को को को किस के किस के किस के के अनुस्थित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के वावों के निपटारे पर भी वां परी की उपरोक्त अधिकारों के वावों के निपटारे पर भी वां परी अधिकारों की वां परित के अनुस्थित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के वां वों के निपटारे पर भी चचां की गई तथा सर्व सम्मित से यह परित के अपरोक्त अधिकारों के वां वों के निपटारे पर भी चचां की गई तथा सर्व सम्मित से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के वां वों के निपटारे पर भी चचां की गई तथा सर्व सम्मित से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के वां वों के निपटारे पर भी चचां की गई तथा सर्व सम्मित से पर्काय परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के वां वों के निपटारे पर मान्यता अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के वां वों के निपटारे पर मान्यता सारी अक्षेत्र परित के जा रही है किए ली गई है तथा प्रस्तावित 2.50 हैं क्टेयर वन भूमि को परित परित की जाती है। सहमित दी जाती है। अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता परित की अधीकारों के वां के निपटारे परित की परित की परित के लिए ग्राम समा	विषयः हि॰प्रन्ती भीनि० हैवाणु के निर्माण हेतू पर्ता जंगलें वन क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।	वेगाग/संस्था को <mark>पेड़ी पस्ता</mark> 2-58 हैवटेयर वन भूमि क
प बार सब सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम समा जपरावा के जद्देश्था को पूर्व तरह सम्मन सहमत है। प्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्मन्ति से प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित २.५० हैं बटेयर वन भूमि को पेर् पन्ता। सहमति दी जाती है। स्थान परिता हिनांक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राम समा परिता	पाम रामा परता 14-9-2014 को को निर्माल वी गई जिसमें हिन्द्रिक्त निर्माल पर्टा ब्लाइ निर्माण हेत् परता (दाराह) 2:58 है है है है है है वह यन भूमि वा उपयोग की ह	थान प्राप्ता वैठक आज दिनाक म् / सरधा को प्राप्ता विज्ञा के प्रस्तावित मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की नर्ज
यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्मित से प्रिकेश पूर्व की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित २.5% है बटेयर वन भूमि को पेर् पटला सहमित दी जाती है। सहमित दी जाती है। अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता गम समामित है। विनांक ७५-०1-२०१५	the same of the sa	
	पह पारित किया गया गया कि नार्येच न्य	न भानवार पर मा येची को गई तथा सर्व अस्ति जे
पस्ता, जिला मण्डी (हि.प्र.)		5
		पस्ता, जिला मण्डी (हि.प्र.)

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की

वन अधिकार समिति ग्राम सभा प्रस्ताः

प्रतिलिपि प्रस्ताव \

बनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनयम ,2006

गाम सभा परंता प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्तात सख्या - 2

आवेद्न किया है।

उपयोग की अनुमति ही जानी है।

दिनाक 14/09/2014

	गाम समा प्रती की बैद्दा आज दिनाक 14-09.2019 को बंदा अग्न दिनाक 14-09.2019 को की अध्यक्षता में भी श्रीमति सिमाल सिम् की अध्यक्षता में की गई जिसमें प्रती वाग कियामी (स्व प्रतिस्थे की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परण्यरागत
	की गर्व विवार की अध्यक्षता में
	वन निवासी (तन प्रक्रिकार) भी भागाना विकास १००० में वर्च अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
	पन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्ग (प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा) जगल वन हात्र में (जिसमें वन विभाग द्वारा में प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ वन विभाग द्वारा में प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ वन
	भीने के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित हैं) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
	सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
	प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यय्न तथा उस.पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पान्रों का
	दावा नियमानुसार सही पाया गया :-
	क १ स्थान मान वासी का नाम जगल का नाम वन अधिका नाम
	1 90
	भूग पड़ी पत्मां हवाच न्यार (पत्मा)
	तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावो को पारित करते हुए इस उप खण्ड स्तरं की समिति को प्रेषित करते।
	नपर्पा में या निम्न लिखित भात्र। को दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया-
	क्070 * पात्र गाम वासी का नाम
	क् ० ५० । १ पात्र गाम वासी का नाम । १ पात्र गाम वासी का नाम । १ पात्र प्राप्त हुआ हू । १ पात्र समा इस दावे / इन दावों को निरक्ष करती है।
	तदानुसार ग्रम समा इस दावे / इन दावों को निरक्ष करती है।
-	31 G/2313
	इस्र क्रम सभा की वन अधिकार समिति से ब्राप्त सूचना के अनुसार (पस्ता) जगी वन क्षेत्र में कोई भी वन
	अधिकार हा दावा प्राप्त नहीं हुआ
	Hamil Cura
	स्थान प्रस्ता अधीक् हस्ताक्षरकत
	स्थान प्रस्ता प्राप्त नहीं हुआ स्थान प्रस्ता अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता दिनांक 14-09-2014
	्रिता हिन्द किया है है ।
	* गामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए

प्रोजैवट/ कार्य का नाम जिसके लिए एन (सरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के

Annexure-III

OFFICE OF THE SDO CIVIL), SADAR DISTRICT MANDI (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

	A meeting of	the Sub-Div	ision level	Committ	ee of SA	DAR	Sut)
Division.	constituted hip/chairperso	under	FRA,200)6 wa	s held	under	th	e
chairmans	hip/chairperso	nship of M	/ MSVIVE	K BHATH	a, CSDO(Ci	vil)_SAD	AR O	Π
ć	at AM/P	M at	<u>(Place)</u> in	which	the appli	cation(s)	oi th	le
applicant(s	der FRA,2006,	Fram Sabha,	claiming ri	ghts in	HREJAD PAST	Α	fores	St
Gram Sabl	ha, were discus	ssed to consid	er the same	for reco	mmendati	on to the	Distri	Į.
Level Com	mittee.		\ \					

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No. Name of Applicant* Name of Forest Detail of forest Right

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

S.No. Name of Applicant* Name of Forest Detail of forest Right

2. -

As informed by ASTA Gram Sabha, no application was received claiming rights in (2HARE JAD PASTOrest area.

Place: MANDI

Date 8-4-2015 SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson Sub-Division

Sadar sur Livision, Mandi

^{*}Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Proceeding of the meeting of the District Level Forest Right Committee held under the Chairmanship of Deputy Commissioner, Mandi on 21.02.2017.

The following were present in the meeting:

1. Addl. District Magistrate, Mandi

2. Sub Divisional Officer (C) Sadar

3. Sub Divisional Officer (C) Balh

4. Sub Divisional Officer (C) Padhar

5. Sub Divisional Officer (C) Dharampur

6. Divisional Forest Officer, Nachan

7. Divisional Forest Officer, Suket

8. ACF, Mandi Forest Division

9. Tehsildar Karsog

10. Sant Ram Thakur, Zila Parishad Member, Balichowki

11. Rajni Naik, Zila Parishad Member, Ward No. 30 Behal

Member Secretary

Member

Member

Member

Member Member

At the very outset the Chairman-cum Deputy Commissioner Mandi, welcomed all the participants. The Member Secretary with the permission of the Chair started the meeting. Following proposal under FRA were put for discussion:-

Sr. No.	Sub Division	Name of Scheme
1	Dharampur	00-48-34 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road from Harnehra to Lavanpur falls within the jurisdiction of Lungram village in Dharampur Tehsil.
2		00-69-13 hectare of forest land proposed to be diverted in favour o
3		Rakh falls within the jurisdiction of Bag village in Dharampur Tehsil. 00-16-73 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road from Dhaloun to Rakh falls within the jurisdiction of Dhaloun village in Dharampur Tehsil.
4		00-92-62 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road Thana to Langehad falls within the jurisdiction of Langehad village in Dharmpur Tehsil.
		00-48-00 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Dharmpur to Satnehar link road falls within the jurisdiction of Dharampur village in Dharampur Tehsil.
		00-45-90 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road NH-70 to Hawani falls within the jurisdiction of Hawani village in Dharampur Tehsil.
+ # ¹		00-47-77 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road Tourjajar to Putlifald falls within the jurisdiction of Chah village in Dharampur Tehsil.

		14. (14. (14. (14. (14. (14. (14. (14. (
8	ger und	00-56-95 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road Tourjajar to Putlifald falls within the jurisdiction of Putlifald village in Dharampur Tehsil.
9		00-45-22 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road Bararta Jaiar Patti Janhial Kathali Reur falls within the jurisdiction of Hukkal village in Dharampur Tehsi!.
10	•	00-54-32 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road Bararta Jaiar Patti Janhial Kathali Reur falls within the jurisdiction of Katehali village in Dharampur Tehsil.
11		00-32-49 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road Bararta Jaiar Patti Janhial Kathali Reur falls within the jurisdiction of Reur village in Dharampur Tehsil.
1	Karsog	04-06-05 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Tattapni to Shakra road falls within the jurisdiction of Tattapani and Kidia villages in Karsog Tehsil.
2		29-13-04 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road from Karsog to Chindhi via Dachehan falls within the jurisdiction of Nowa, Dachhehan, DPF Chakranth, DPF Chindi, Chindi, DPF Kanjol villages in Karsog Tehsil.
3 .	,	32-12-05 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road rom Naglog Nala to Syainj falls within the jurisdiction of DPF Khadra, Mahavan, Anog, Sianj villages in Karsog Tehsil
1	Janjehli	24-02-09 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Jhared to Bagdathach road falls within the jurisdiction of Thua, DPF fadihar, Seri, Seri Narayan, Khair, Karganoo and Jhamach villages in Thunag Tehsil.
2		33-08-02 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Bagdathach to Chachgalu road falls within the jurisdiction of Khanwach, Thach and Jhamach villages in Thunag Tehsil.
1	Sadar	1.2608 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Khadkalyana to Matyari road falls within the jurisdiction of Sadoh village in Kotli Tehsil.
2		0.9330 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Khadkalyana to Dodra Balh road falls within the jurisdiction of Sadoh village in Kotli Tehsil.
3		0.4759 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Kalothar to Broha road

		falls within the jurisdiction of Ropa Matyal village in Kotli Tehsil.
4		1.4279 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Kalothar to Brohn road falls within the jurisdiction of Dawahan village in Kotli Tehsil.
5		08-07-04 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Dwahan to Kot Pansada Ropa Baroka Matyal road falls within the jurisdiction of Alag village in Kotli Tehsil.
6		02-13-18 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Dwahan to Kot Pansada Ropa Baroha Matyal road falls within the jurisdiction of Dawahan village in Kotli Tehsil.
1	Balh	2.58 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Pairi Pasta to Hawanu road falls within the jurisdiction of Pasta village in Balh Tehsil.
2		4-17-6 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Rigger Parauli Nal Koyla. Mata Mandir road falls within the jurisdiction of Chawari village in Balh Tehsil.
1	Padhar	2.22 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Ropa to Sagnal road falls within the jurisdiction of Drun, Chucchal and Sagnal villages in Padhar Tehsil.
2		0.9174 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of I&PH department for the construction of water supply scheme in Mandi District falls within jurisdiction of DPF Panjond, Panjond, Graman, Kharyan, Dhamchyan, Cheling village, in Tehsil Padhar.

The detailed discussion and scrutiny of the proposal, and documents placed on record revealed that above proposals are for linear Projects. For linear projects MOEE Govt. of India has issued a clarification on dated 05-2-2013, wherein exemptions for the requirement of obtaining consent Gram Sabha (s) as stipulated in clause © read with clause (b), (e) and (f) in second para of Ministry of environment and forests letter dated 03.8.2009, has been granted. These exemptions are granted with the conditions that no rights of PTGs and PACs should be affected.

On this issue a meeting was held in this office on 29-05-2015 in which Conservator of Forest, Mandi, Addl. District Magistrate, Mandi, all Sub Divisional Officers (C) of Mandi District and all Tehsildars/Naib Tehsildars of Mandi District were present. It has been decided in the above meeting that if in a village there are no recognized PTG/PAC, then the requirement of the consent of Gram Sabha is not required for linear projects. All the Sub Divisional Officer (C) present in the meeting informed that there is no population

PTG and PAC in their respective jurisdiction. Conservator of forest also endo. sed the same A list of PTG as obtained from the website of Ministry of Tribal Development of Government of India wherein the name of H.P. does not appear was also perused. Thus it was agreed by all that in Mandi District there is no recorded population of PTG/PAC, hence the issue of their rights does not arise at all. Further Commissioner (Tribal Development), Himachal Pradesh vide his letter No. TBD.F(xDM)1-1/2007-XXIII dated 17.47-2015 has informed that no Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) exists in the State. Thus for above linear projects DLC recommends the issuance for FRA Certificates in the light of Guidelines given in letter No. F.No.11-9/98-FC (pt) dated 05-02-2013.

Deputy Commissioner, Mandi District, Mandi.